



कार्यालय: वन प्रमंडल पदाधिकारी,
दुमका वन प्रमंडल, दुमका।

Court Compound, Dumka-814101
E-mail- dfo-dumka@gov.in/dfodumka@gmail.com



पत्रांक- 42 दिनांक- 06/01/2026

सेवा में,

ई-मेल

Chief Manager
Project – Pipeline Numaligarh Refinery Limited,
122A, G.S Road, Christianbasti,
Guwahati – 781005, Dist. Kamrup, Assam,
Email address- indrajit.kaman@nrl.co.in.

विषय : In-principle (Stage-I) approval of Central Government under Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980 for diversion of 6.206 ha forest land in favour of Numaligarh Refinery Limited for laying underground Paradip-Numaligarh Crude Oil Pipeline (PNCPL) project in Dumka and Godda district of Jharkhand – reg.

प्रसंग : भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, राँची का पत्र सं०-FP/JH/Pipeline/152551/2022/700 दिनांक-19.12.2025

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र द्वारा प्रस्ताव हेतु भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, राँची In-principle/Stage-I की स्वीकृति प्रदान की गयी है (छायाप्रति संलग्न)। भारत सरकार द्वारा लगाये गये शर्तों की शर्तवार स्थिति निम्नवत् सुस्पष्ट की जाती है :-

शर्त सं०	शर्त	अनुपालन
1	2	3
1	Legal status of the diverted forest land shall remain unchanged;	इस शर्त के अनुपालन हेतु वचनबद्धता पत्र (undertaking) समर्पित किया जाय।
2	Compensatory Afforestation (CA) shall be taken up by the Forest Department over 14.813 ha. degraded forest land (DFL) (Site-1 – Mauza- Baratarn, Thana/Thana No.- Guhiyajori/02, Plot No. 1, 25, 85 (area:5.35 ha), Site-2 - Mauza- Patharpani, Thana/Thana No.- Guhiyajori/03, Plot No. 407, 384, 430 (area: 3.683 ha.), Site-3 –Mauza - Bansberwa, Thana/Thana No.- Guhiyajori/03, Plot No. 80 (area: 5.78 ha.) under Dumka Forest Division) at the cost of the user agency. It shall be ensured that healthy plants/sapling with adequate height of indigenous species is planted and monoculture, especially of non-native species shall be avoided.	
3	The cost of compensatory afforestation on the identified CA land (14.813 ha DFL) at the prevailing wage rates as per CA scheme (including the cost of survey, demarcation and erection of permanent pillars etc. as required for securing the land against encroachment) shall be deposited in advance with the State Forest Department by the project authority. Also, soil testing of the CA site to ensure that indigenous species are selected based on soil conditions for maximum survival shall be done mandatorily. The CA will be maintained for at least 10 years. The scheme may be revised to include additional expenditure for soil testing, larger pits, taller saplings, and improved fencing to ensure successful plantation as well as appropriate provision for anticipated cost increase for works scheduled for subsequent years.	इस शर्त के अनुपालन हेतु CA Scheme संलग्न है।

P.T.O.

शर्त सं०	शर्त	अनुपालन
1	2	3
4	The State Government shall charge the Net Present Value (NPV) for the 6.206 ha forest area to be diverted under this proposal from the User Agency as per the order of the Hon'ble Supreme Court of India dated 30/10/2002, 01/08/2003, 28/03/2008, 24/04/2008 and 09/05/2008 in IA No. 566 in WP (C) No. 202/1995 and as per the guidelines issued by the Ministry vide letters No. 5-1/1998-FC (Pt.II) dated 18/09/2003, as well as letter No. 5-2/2006-FC dated 03/10/2006, 5-3/2007-FC dated 05/02/2009 and letter No.5-3/2011- FC(Vol-I) dated 6/1/2022 in this regard.	इस शर्त के अनुपालन हेतु अपयोजित होने वाली वनभूमि (6.101 हे०) हेतु 13.57110 लाख प्रति हे० की दर से कुल 82,79,728.00 (बयासी लाख उनासी हजार सात सौ अठ्ठाईस) रू० मात्र एन०पी०वी० मद की राशि इस कार्यालय के पत्रांक-38 दिनांक-06.01.2026 द्वारा जमा कराने हेतु अनुरोध किया गया है। अतः निर्धारित प्रक्रियानुसार ई-पेमेंट के माध्यम से जमा किया जाय तथा राशि जमा करने संबंधी प्रमाण-पत्र इस कार्यालय में समर्पित करना सुनिश्चित करें। नोट-आर०टी०जी०एस०/नेफ्ट या अन्य किसी माध्यम से किसी भी परिस्थिति में राशि का अन्तरण नहीं किया जाय।
5	Additional amount of the NPV of the diverted forest land, if any, becoming due after finalization of the same by the Hon'ble Supreme Court of India on receipt of the report from the Expert Committee, shall also be charged by the State Government from the User Agency. The User Agency shall furnish an undertaking to this effect.	इस शर्त के अनुपालन हेतु वचनबद्धता पत्र (undertaking) समर्पित किया जाय।
6	The user agency shall prepare and implement a Site-specific Wildlife Management Plan (WLMP) under guidance and supervision of forest department to minimize the adverse effect of the project on flora and fauna in the vicinity. Cost of Plan preparation and implementation shall be borne by the project proponent. A copy of duly approved such plan shall be submitted to this office before seeking final approval. All other mitigative measures to ensure unhindered wildlife movement shall be incorporated by user agency in in form of passages/culverts as deemed appropriate by the DFO.	इस शर्त के अनुपालन हेतु Site-specific Wildlife Management Plan सक्षम स्तर से स्वीकृति के उपरांत समर्पित किया जाय।
7	The user agency shall prepare and implement a Soil-Moisture Conservation Plan under guidance and supervision of forest department to minimize the adverse effect of the project on soils of the area and its hydrology. Cost of Plan preparation and implementation shall be borne by the project proponent. A copy of duly approved such plan shall be submitted to this office before seeking final approval.	इस शर्त के अनुपालन हेतु Soil-Moisture Conservation Plan सक्षम स्तर से स्वीकृति के उपरांत समर्पित किया जाय।
8	All the funds received from the user agency under the project shall be transferred / deposited to CAMPA fund only through e-portal (https://parivesh.nic.in/).	इस शर्त के अनुपालन हेतु CAMPA Account में जमा की जानेवाली राशि को e-portal (https://parivesh.nic.in/) के माध्यम से जमा किया जाय। आर०टी०जी०एस०/नेफ्टी या अन्य किसी माध्यम से किसी भी परिस्थिति में जमा/अंतरण की गई राशि को स्वीकार नहीं किया जायेगा।
9	The complete compliance of the FRA, 2006, including all the relevant certificates from competent authorities/committees, shall be ensured before the issuance of final diversion letter by the State Government.	इस शर्त के अनुपालन हेतु संबंधित अभिलेख समर्पित किया जाय।
10	The User agency shall upload NOCs of Road/drainage etc before the issuance of final approval.	इस शर्त के अनुपालन हेतु वचनबद्धता पत्र (undertaking) समर्पित किया जाय।

शर्त सं०	शर्त	अनुपालन
1	2	3
11	The KML files of the forest area to be diverted and the CA area shall be uploaded on the e-Green watch portal with all requisite details and submitting compliance report for seeking Stage-II approval.	इस शर्त के अनुपालन हेतु वचनवद्धता पत्र (undertaking) समर्पित किया जाय।
12	A Muck-Disposal Plan should be prepared by User Agency to ensure that the muck/wastage generated should be disposed of in proper manner. Such plan, duly approved by the concerned DFO, should be submitted to this office before soliciting working permission.	इस शर्त के अनुपालन हेतु वचनवद्धता पत्र (undertaking) समर्पित किया जाय।
13	User Agency shall restrict the felling of trees to minimum number in the diverted forest land and the trees shall be felled under the strict supervision of the State Forest Department and the cost of felling of trees shall be deposited by the User Agency with the State Forest Department.	इस शर्त के अनुपालन हेतु वचनवद्धता पत्र (undertaking) समर्पित किया जाय।
14	The pipeline shall be laid down 1.5 meter below the ground and after laying down of pipeline the ground will be leveled.	इस शर्त के अनुपालन हेतु वचनवद्धता पत्र (undertaking) समर्पित किया जाय।
15	Wherever possible and technically feasible, the User Agency shall undertake appropriate afforestation or vegetation enrichment measures near the site(s) related to the area diverted under this approval, in consultation with the State Forest Department at the project cost.	इस शर्त के अनुपालन हेतु वचनवद्धता पत्र (undertaking) समर्पित किया जाय।
16	The User Agency shall ensure that the labourers and staff engaged in construction activity do not damage the nearby forest flora and fauna.	इस शर्त के अनुपालन हेतु वचनवद्धता पत्र (undertaking) समर्पित किया जाय।
17	The layout plan of the proposal shall not be changed without prior approval of the Ministry of Environment, Forest & Climate Change.	इस शर्त के अनुपालन हेतु वचनवद्धता पत्र (undertaking) समर्पित किया जाय।
18	No labour camp shall be established on the forest land.	इस शर्त के अनुपालन हेतु वचनवद्धता पत्र (undertaking) समर्पित किया जाय।
19	The User Agency shall provide alternate fuels preferably LPG to the labourers and the staff working at the site so as to avoid any damage and pressure on the nearby forest areas.	इस शर्त के अनुपालन हेतु वचनवद्धता पत्र (undertaking) समर्पित किया जाय।
20	Earth or any other material shall not be brought from and debris resulting during construction shall not be disposed of in the adjoining forest area by the user agency.	इस शर्त के अनुपालन हेतु वचनवद्धता पत्र (undertaking) समर्पित किया जाय।
21	The period of diversion under this approval shall be co-terminus with the period of the project life.	इस शर्त के अनुपालन हेतु वचनवद्धता पत्र (undertaking) समर्पित किया जाय।
22	The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the project proposal.	इस शर्त के अनुपालन हेतु वचनवद्धता पत्र (undertaking) समर्पित किया जाय।

P.T.O.

शर्त सं०	शर्त	अनुपालन
1	2	3
23	The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agencies, department, or person without prior approval of Ministry of Environment, Forest and Climate Change.	इस शर्त के अनुपालन हेतु वचनबद्धता पत्र (undertaking) समर्पित किया जाय।
24	The User Agency and the State Government shall ensure compliance to provisions of the Acts, Rules, Regulations, Guidelines, Hon'ble Court Order(s) and National Green Tribunal Order(s) pertaining to this project, if any, for the time in force, as applicable to the project.	इस शर्त के अनुपालन हेतु वचनबद्धता पत्र (undertaking) समर्पित किया जाय।
25	Violation of any of these conditions will amount to violation of Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980 and action would be taken accordingly.	इस शर्त के अनुपालन हेतु वचनबद्धता पत्र (undertaking) समर्पित किया जाय।
26	Any other condition that the Ministry of Environment, Forest & Climate Change may stipulate from time to time in the interest of conservation, protection and development of forest & wildlife.	इस शर्त के अनुपालन हेतु वचनबद्धता पत्र (undertaking) समर्पित किया जाय।
27	The compliance report shall be uploaded on e-portal (https://parivesh.nic.in/).	इस शर्त के अनुपालन हेतु वचनबद्धता पत्र (undertaking) समर्पित किया जाय।

अनुरोध है कि सभी शर्तों का शर्तवार अनुपालन प्रतिवेदन 9 (नौ) प्रतियों में यथाशीघ्र समर्पित किया जाए ताकि अग्रेतर कार्रवाई की जा सके।

अनु०-यथोक्त।

विश्वासभाजन

₹

वन प्रमंडल पदाधिकारी

दुमका वन प्रमंडल, दुमका।

Strauan 06/01/26 *afu* 06-01-26

ज्ञापक- 42 दिनांक- 06/01/2026

ई-मेल

प्रतिलिपि:-वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, दुमका/क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, संथाल परगना, दुमका को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

₹

वन प्रमंडल पदाधिकारी,

दुमका वन प्रमंडल, दुमका।

Strauan 06/01/26 *afu* 06-01-26



कार्यालय: वन प्रमंडल पदाधिकारी,
दुमका वन प्रमंडल, दुमका।



Court Compound, Dumka-814101

E-mail- dfo-dumka@gov.in/dfodumka@gmail.com

पत्रांक- 38 दिनांक- 06-01-2026

सेवा में,

ई-मेल

Chief Manager
Project – Pipeline Numaligarh Refinery Limited,
122A, G.S Road, Christianbasti,
Guwahati – 781005, Dist. Kamrup, Assam,
Email address indrajit.kaman@nrl.co.in.

विषय : In-principle (Stage-I) approval of Central Government under Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980 for diversion of 6.206 ha forest land in favour of Numaligarh Refinery Limited for laying underground Paradip-Numaligarh Crude Oil Pipeline (PNCPL) project in Dumka and Godda district of Jharkhand – reg.

प्रसंग : भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय का पत्रांक-FP/JH/Pipeline/152551/2022/700 दिनांक-19.12.2025

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्रों का कृप्या निदेश किया जाय। दुमका वन प्रमंडल अन्तर्गत Paradip - Numaligarh Crude Oil Pipeline (PNCPL) Project हेतु वनभूमि अपयोजना प्रस्ताव अन्तर्गत भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, राँची का पत्र सं०-FP/JH/Pipeline/152551/2022/700 दिनांक-19.12.2025 के आलोक में शर्त संख्या-(4) के अनुपालन हेतु NPV की राशि 13,57,110.00 रु०/हे० की दर से गणना कर 82,79,728.00 (बयासी लाख उनासी हजार सात सौ अट्ठाईस) रु० मात्र की मांग पत्र (गणना तालिका संलग्न) नियमानुसार जमा किया जाय तथा राशि जमा करने संबंधी E-Payment/Challan की प्रति इस कार्यालय में समर्पित करना सुनिश्चित करें। आर०टी०जी०एस०/नेफ्ट/डी०डी०/कैश या अन्य किसी माध्यम से जमा की गई राशि को स्वीकार नहीं किया जायेगा।

अनु०:-यथोक्त।

विश्वासभाजन,

₹

वन प्रमंडल पदाधिकारी,
दुमका वन प्रमंडल, दुमका।

ई-मेल

ज्ञापांक- 38 दिनांक- 06-01-2026 Shrawan 06/01/26 06-01-26

प्रतिलिपि:- वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, दुमका/क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, संथाल परगना, दुमका को अनुलग्नक सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

₹

वन प्रमंडल पदाधिकारी,
दुमका वन प्रमंडल, दुमका।

Shrawan 06/01/26 06-01-26

दुमका वन प्रमंडल, दुमका।

परियोजना—Paradip - Numaligarh Crude Oil Pipeline (PNCPL) Project परियोजना।

Government of India Ministry of Environment, Forest and Climate Change Regional Office, Ranchi. के पत्र दिनांक—19.12.2025 द्वारा “In-principle/stage-I स्वीकृति में सन्निहित शर्त संख्या—(4) “The State Government shall charge the Net Present Value (NPV) for the 6.206 ha forest area to be diverted under this proposal from the User Agency as per the order of the Hon’ble Supreme Court of India dated 30/10/2002, 01/08/2003, 28/03/2008, 24/04/2008 and 09/05/2008 in IA No. 566 in WP (C) No. 202/1995 and as per the guidelines issued by the Ministry vide letters No. 5-1/1998-FC (Pt.II) dated 18/09/2003, as well as letter No. 5-2/2006-FC dated 03/10/2006, 5-3/2007-FC dated 05/02/2009 and letter No.5-3/2011- FC(Vol-I) dated 6/1/2022 in this regard.” के आलोक में Net Present Value (NPV) का मूल्यांकन :-

1. प्रस्तावित वनभूमि का कुल रकबा	—	6.101 हे०
2. प्रस्तावित वनभूमि पर वनों का घनत्व	—	0.7
3. NPV की दर (0.7 औसत घनत्व हेतु) Eco class-III	—	13.57110 लाख/हे०
4. 6.101 हे० के लिए NPV की राशि (13.57110 लाख x 6.101 हे०)	—	82.79728 लाख
जमा करने हेतु कुल NPV की राशि		= 82.79728 लाख
(बयासी लाख उनासी हजार सात सौ अट्ठाईस) रू० मात्र।		

₹
वन प्रमंडल पदाधिकारी,
दुमका वन प्रमंडल, दुमका।
Shawon 06/01/26
af:411 06-01-26

1 प्रक्षेत्र का नान :- हिजला पश्चिमी प्रक्षेत्र, दुमका ।

2 परिसर :- खासमहल

3 बन उप परिसर :- असना

4 प्रखण्ड एवं पंचायत का नाम :- दमका

5 कार्य स्थल का नाम :- बारार्टोड

6 थाना एवं थाना नं० :- गहिरागंजी-०३

7 वन भूमि ।

० विना - गच्छत ।

11445

9 प्लॉट नं०:- 1,25,85

क्र०	कार्य की विवरण	इकाई	प्रति हे०						5.350 हे०			कुल व्यय (रु०)	अभ्युक्ति
			मानव दिवस (सं०)		मजदूरी (रु०)		सामग्री (रु०)	कुल व्यय (रु०)	मानव दिवस (सं०)	मजदूरी (रु०)	सामग्री (रु०)		
			4	5	6	7							
1	2	3										12	
(ए०) अग्रिम कार्य (प्रथम वर्ष) 2020-27 मजदूरी दर-500.00 रु० प्रति मानव दिवस													
1	सर्वेक्षण एवं सीमांकन	हे०	3.00	1500.00	50.00	1550.00	16.05	8025.00	267.50		8292.50		
2	झाड़ी साफाई												
2.1	घनी झाड़ी	हे०	10.00	5000.00	0.00	5000.00	53.50	26750.00	0.00		26750.00		
2.2	लेटना को जड़ सहित उखाड़कर 10 मीटर दूरी तक संग्रहण कर जलाने का कार्य												
2.3	पहलीबार माह सितम्बर-नवम्बर		50.00	25000.00	14500.00	39500.00	267.50	133750.00	77575.00		211325.00		
2.4	दूसरी बार दिसम्बर-फरवरी		35.00	17500.00	0.00	17500.00	187.25	93625.00	0.00		93625.00		
3	घराना कार्य												
3.1	आर०सी०सी० पीलर 41 सं० 96500 रु० प्रति पीलर। पीलर का आकार 7'x4"x4" का निर्माण एवं 1'x1'x2' का गड्ढा में ढलाई कर लगाने का खर्च (120 मीटर के लिए 41 पीलर- इसलिये 2552 मीटर घराना के लिए 872 पीलर)		0.00	15826.00	23739.00	39565.00	0.00	336592.00	504888.00		841480.00		
3.2	कटीला तार 4 Point 2 Ply 12 swg. 15 cm apart 82.5 रु० प्रति कि०ग्र० (जोएस०टी० सहित Item No. 31/M215) की दर से 144.66 कि०ग्र० (7 साईन एवं 2 क्रॉस) (120 मीटर के लिए 144.65 कि०ग्र०- इसलिये 2552 मीटर घराना के लिए 3077 कि०ग्र०)		0.00	0.00	11933.63	11933.63	0.00	0.00	253852.50		253852.50		
3.3	कटीला तार को खींचने, सीधा करने, स्तूल इत्यादि लगाने का कार्य सहित। (120 मीटर के लिए 3.81 मानव दिवस- इसलिये 2552 मीटर घराना के लिए 81.03 मानव दिवस)		3.81	1905.00	0.00	1905.00	81.03	40515.00	0.00		40515.00		
3.4	आर०सी०सी० पीलर एवं कटीले तार की कार्य स्थल तक डुलाई 15% of (3.1 +3.2)		0.00	0.00	7724.79	7724.79	0.00	0.00	164299.88		164299.88		

Wm. B. Brown

क्र०	कार्य की विवरण	इकाई	प्रति हे०					5,350 हे०			अवशुक्ति
			मानव दिवस (सं०)	मजदूरी (रु०)	सामग्री (रु०)	कुल व्यय (रु०)	मानव दिवस (सं०)	मजदूरी (रु०)	सामग्री (रु०)	कुल व्यय (रु०)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.5	घरान में PVC जाली, बांस इत्यादि से फेंसिंग का सुदिकरण (जमीन से 2 फीट ऊँचा) (120 मीटर के लिए 8146.28 रु०-- इसलिये 2552 मीटर घेरान के लिए 1,73,244.22 रु०)	L.S.	0.00	0.00	8146.28	8146.28	0.00	0.00	173244.22	173244.22	
4	मृदा कार्य: पीछा लगाने हेतु (60cm x 60cm x 60cm) आकार का गड्ढा बनाना @0.17 मानव दिवस प्रति गड्ढा	हे०	187.00	93500.00	0.00	93500.00	1000.45	500225.00	0.00	500225.00	
5	मृदा एवं खल संरक्षण कार्य : कंदूर ट्रैपिंग-120, कंदूर ट्रैव साईज 5मी० X 0.30 X 0.3 मी० का खोया जाना जिसके बीच की दूरी 2 मी० से 3 मी० हो तथा इसकी मिट्टी का निचे ढाल पर 0.15 मी० हट कर 0.30 मी० की चौड़ाई में 0.15 मी० गड्ढा कोड़नी कर रखा जाना।	हे०	55.00	27500.00	0.00	27500.00	294.25	147125.00	0.00	147125.00	
6	सिल्ट डिटेन्शन डैम, चेक डैम, रिटेनिंग एवं ब्रेस्ट वाल, टो वाल, स्तर एवं टारिफ्ट नियंत्रण कार्य आदि	हे०	25.00	12500.00	0.00	12500.00	133.75	66875.00	0.00	66875.00	
7	गली प्लगिंग	हे०	10.00	5000.00	0.00	5000.00	53.50	26750.00	0.00	26750.00	
8	लेबर रोल मजदूरी का 1 प्रतिशत		0.00	0.00	2052.31	2052.31	0.00	0.00	13802.32	13802.32	
9	विविध कार्य (अनुश्रवण, मृत्योक्ता, छायांकन प्रचार-प्रसार, मुद्रण एवं संकलन आदि) कुल राशि का 7 प्रतिशत		0.00	0.00	18992.73	18992.73	0.00	0.00	178805.14	178805.14	
कुल :-			378.81	205231.00	87138.74	292369.74	2087.28	1380232.00	1366734.55	2746966.55	
10	प्रवेश बिन्दु कार्य (प्रथम एवं द्वितीय वर्षीय का 15 प्रतिशत)		0.00	0.00	117532.50	117532.50	0.00	0.00	806494.45	806494.45	
अग्रिम कार्य का सकल योग :-			378.81	205231.00	204671.24	409902.24	2087.28	1380232.00	2173229.00	3553461.00	
(श्री०) समापन कार्य (द्वितीय वर्ष) 2027-28 मजदूरी दर-575.00 रु० प्रति मानव दिवस (वृद्धि 15 प्रतिशत)											
1	पौधों (न्यूनतम 6 फीट) क्रय एवं परिवहन 20 प्रतिशत अतिरिक्त सहित (130x@105 रु० प्रति पौधा)		0.00	0.00	138600.00	138600.00	0.00	0.00	741510.00	741510.00	
2	वृक्षारोपण (0.0225 मानव दिवस प्रति पौधा)		24.75	14231.25	0.00	14231.25	132.41	76137.19	0.00	76137.19	
3	पौधों को संभार देने हेतु खूँटा का उपयोग करना (0.02 मा० दि० प्रति पौधा एवं 10.00 रु० सामग्री प्रति पौधा)		22.00	12650.00	11000.00	23650.00	117.70	67677.50	58850.00	126527.50	
4	तीन कोड़नी एवं निकौनी (0.06 मानव दिवस प्रति पौधा)		66.00	37950.00	0.00	37950.00	353.10	203032.50	0.00	203032.50	
5	पौधों की सुरक्षा		275.00	158125.00	0.00	158125.00	275.00	158125.00	0.00	158125.00	
6	सामग्री (बीज, उर्वरक, खाद, रसायन, आदि) (6.00/- प्रति पौधा)		0.00	0.00	4950.00	4950.00	0.00	0.00	26482.50	26482.50	
7	जैविक खाद का उपयोग (दो वि०ग्रा० प्रति पौधा)		0.00	0.00	22000.00	22000.00	0.00	0.00	117700.00	117700.00	
8	पटवन आवश्यकतानुसार (0.08 मानव दिवस प्रति पौधा)		99.00	56925.00	0.00	56925.00	529.65	304548.75	0.00	304548.75	
9	बोरिंग + मशीन + टैंक	L.S.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600000.00	600000.00	
10	पटवन के लिए डीजल (चार मा० हेतु)	L.S.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96000.00	96000.00	
11	विविध कार्य (अनुश्रवण, मृत्योक्ता, छायांकन प्रचार-प्रसार, मुद्रण एवं संकलन आदि) कुल राशि का 7 प्रतिशत		0.00	0.00	31950.19	31950.19	0.00	0.00	171504.44	171504.44	
12	लेबर रोल मजदूरी का 1 प्रतिशत		0.00	0.00	2798.81	2798.81	0.00	0.00	8095.21	8095.21	
कुल :-			486.75	279881.25	211299.00	491180.25	1407.86	809520.94	1820142.15	2629663.09	

Sharma

क्र०	कार्य की विवरण	इकाई	प्रति हे०					5.350 हे०			कुल व्यय (रु०)	अभ्युक्ति
			मानव दिवस (रु०)	मजदूरी (रु०)	सामग्री (रु०)	कुल व्यय (रु०)	मानव दिवस (रु०)	मजदूरी (रु०)	सामग्री (रु०)	कुल व्यय (रु०)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
(सी०) सम्मोचन कार्य (पुर्णवर्ष) 2028-29 मजदूरी दर-651.25 रु० प्रति मानव दिवस (वृद्धि 15 प्रतिशत)												
1	दो कोड़नी एवं निकोनी (0.04 मानव दिवस प्रति पौधा)		44.00	29095.00	0.00	29095.00	235.40	155658.25	0.00	155658.25		
2	सामग्री (बीज, चर्वकर, कम्योस्ट खाद, डी०ए०पी०/यूरिया/जैविक किटनासक आदि) (4.5/- रु० प्रति पौधा)		0.00	0.00	4950.00	4950.00	0.00	0.00	26482.50	26482.50		
3	पौधों की सुरक्षा (मानव दिवस प्रति साईड)		365.00	241356.25	0.00	241356.25	365.00	241356.25	0.00	241356.25		
4	घेराव की मरम्मत (5% of construction)		0.00	0.00	3288.32	3288.32	0.00	0.00	69924.80	69924.80		
5	पटवन आवश्यकतानुसार (0.135 मानव दिवस प्रति पौधा)		148.50	98195.63	0.00	98195.63	794.48	525346.59	0.00	525346.59		
6	मृत्त पौधों का प्रतिस्थापन (10% पौधे-110 पौधे/हे०, प्रति पौधा मानव दिवस = 0.033 एवं प्रति पौधा सामग्री = 105/-रु०)		36.30	24003.38	11550.00	35553.38	194.21	128418.06	61792.50	190210.56		
7	विविध कार्य (अनुश्रवण, मूल्यांकन, छायांकन प्रचार-प्रसार, मुद्रण एवं संकलन आदि) कुल राशि का 7 प्रतिशत		0.00	0.00	28870.70	28870.70	0.00	0.00	84628.53	84628.53		
8	लेबर सेत मजदूरी का 1 प्रतिशत		0.00	0.00	3926.50	3926.50	0.00	0.00	10507.79	10507.79		
		कुल :-	593.80	392650.25	52585.52	445235.77	1589.08	1050779.15	253336.12	1304115.27		
(डी०) सम्मोचन कार्य (पुर्णवर्ष) 2029-30 मजदूरी दर-760.44 रु० प्रति मानव दिवस (वृद्धि 15 प्रतिशत)												
1	दो कोड़नी एवं निकोनी (0.04 मानव दिवस प्रति पौधा)		44.00	33459.36	0.00	33459.36	235.40	179007.58	0.00	179007.58		
2	सामग्री (बीज, चर्वकर, कम्योस्ट खाद, डी०ए०पी०/यूरिया/जैविक किटनासक आदि) (4.5/- रु० प्रति पौधा)		0.00	0.00	4950.00	4950.00	0.00	0.00	26482.50	26482.50		
3	पौधों की सुरक्षा (मानव दिवस प्रति साईड)		365.00	277560.60	0.00	277560.60	365.00	277560.60	0.00	277560.60		
4	मृत्त पौधों का प्रतिस्थापन (75 पौधे/हे०, प्रति पौधा मानव दिवस = 0.06 एवं प्रति पौधा सामग्री = 105/-रु०)		4.50	3421.98	7875.00	11296.98	24.08	18307.59	42131.25	60438.84		
5	पटवन आवश्यकतानुसार (0.045 मानव दिवस प्रति पौधा)		49.50	37641.78	0.00	37641.78	264.83	201383.52	0.00	201383.52		
6	विविध कार्य (अनुश्रवण, मूल्यांकन, छायांकन प्रचार-प्रसार, मुद्रण एवं संकलन आदि) कुल राशि का 7 प्रतिशत		0.00	0.00	25543.61	25543.61	0.00	0.00	52141.11	52141.11		
7	लेबर सेत मजदूरी का 1 प्रतिशत		0.00	0.00	3520.84	3520.84	0.00	0.00	6762.59	6762.59		
		कुल :-	463.00	352083.72	41889.45	393973.17	889.30	676259.29	127517.46	803776.75		

क्र०	कार्य की विवरण	इकाई	प्रति हे०					5.350 हे०			अभ्युक्ति	
			मानव दिवस (रा०)	मजदूरी (रु०)	सामग्री (रु०)	कुल व्यय (रु०)	मानव दिवस (रा०)	मजदूरी (रु०)	सामग्री (रु०)	कुल व्यय (रु०)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
(ई०) सम्योपेयन कार्य (पंचम वर्ष) 2030-31 मजदूरी दर-874.81 रु० प्रति मानव दिवस (बुद्धि 15 प्रतिशत)												
1	एक कोड़नी एवं निकोनी (0.02 मानव दिवस प्रति पौधा)		22.00	19239.22	0.00	19239.22	117.70	102929.83	0.00	102929.83		
2	सामग्री (बीज, उर्वरक, कम्पोस्ट खाद, डी०ए०पी०/यूरिया/जीविक किटनाशक आदि) (4.5/- रु० प्रति पौधा)		0.00	0.00	4950.00	4950.00	0.00	0.00	26482.50	26482.50		
3	पौधों की सुरक्षा (मानव दिवस प्रति साईड)		365.00	319196.15	0.00	319196.15	365.00	319196.15	0.00	319196.15		
4	नए पौधों का प्रतिस्थापन (50 पौधे/हे०, प्रति पौधा मानव दिवस = 0.06 एवं प्रति पौधा सामग्री = 105/-रु०)		3.00	2623.53	5250.00	7873.53	16.05	14035.89	28087.50	42123.39		
5	विविध कार्य (अनुश्रवण, गुल्यांकन, छायांकन प्रचार-प्रसार, मुद्रण एवं संकलन आदि) कुल राशि का 7 प्रतिशत		0.00	0.00	24818.31	24818.31	0.00	0.00	39245.97	39245.97		
6	घेरान की मरम्ति (5% of construction)		0.00	0.00	3288.32	3288.32	0.00	0.00	69924.80	69924.80		
7	लेबर सेस मजदूरी का 1 प्रतिशत		0.00	0.00	3410.59	3410.59	0.00	0.00	4361.62	4361.62		
	कुल :-		390.00	341058.90	41717.21	382776.11	498.75	436161.86	168102.39	604264.25		
(ए०) सम्योपेयन कार्य (षष्ठम वर्ष) 2031-32 मजदूरी दर-1005.69 रु० प्रति मानव दिवस (बुद्धि 15 प्रतिशत)												
1	पौधों की सुरक्षा (मानव दिवस प्रति साईड)	स्थल	365.00	367076.85	0.00	367076.85	365.00	367076.85	0.00	367076.85		
2	लेबर सेस मजदूरी का 1 प्रतिशत		0.00	0.00	3670.77	3670.77	0.00	0.00	3670.77	3670.77		
	कुल :-		365.00	367076.85	3670.77	370747.62	365.00	367076.85	3670.77	370747.62		
(बी०) सम्योपेयन कार्य (सप्तम वर्ष) 2032-33 मजदूरी दर-1150.64 रु० प्रति मानव दिवस (बुद्धि 15 प्रतिशत)												
1	पौधों की सुरक्षा (मानव दिवस प्रति साईड)	स्थल	365.00	422137.10	0.00	422137.10	365.00	422137.10	0.00	422137.10		
2	लेबर सेस मजदूरी का 1 प्रतिशत		0.00	0.00	4221.37	4221.37	0.00	0.00	4221.37	4221.37		
	कुल :-		365.00	422137.10	4221.37	426358.47	365.00	422137.10	4221.37	426358.47		
(एच०) सम्योपेयन कार्य (अष्टम वर्ष) 2033-34 मजदूरी दर-1300.02 रु० प्रति मानव दिवस (बुद्धि 15 प्रतिशत)												
1	पौधों की सुरक्षा (मानव दिवस प्रति साईड)	स्थल	365.00	485457.30	0.00	485457.30	365.00	485457.30	0.00	485457.30		
2	लेबर सेस मजदूरी का 1 प्रतिशत		0.00	0.00	4854.57	4854.57	0.00	0.00	4854.57	4854.57		
	कुल :-		365.00	485457.30	4854.57	490311.87	365.00	485457.30	4854.57	490311.87		
(आई०) सम्योपेयन कार्य (नवम वर्ष) 2034-35 मजदूरी दर-1529.62 रु० प्रति मानव दिवस (बुद्धि 15 प्रतिशत)												
1	पौधों की सुरक्षा (मानव दिवस प्रति साईड)	स्थल	365.00	558274.80	0.00	558274.80	365.00	558274.80	0.00	558274.80		
2	लेबर सेस मजदूरी का 1 प्रतिशत		0.00	0.00	5582.75	5582.75	0.00	0.00	5582.75	5582.75		
	कुल :-		365.00	558274.80	5582.75	563857.55	365.00	558274.80	5582.75	563857.55		

दुमका वन प्रमंडल, दुमका।

Paradip-Numaligarh Crude Oil Pipeline (PNCPL) परियोजना हेतु गैर वनभूमि में अवकृष्ट वनों का पारिस्थितिकी पुनर्स्थापना योजना (1100 पौधा प्रति हे०) अग्रिम कार्य वर्ष 2026-27 से 2035-36 समापन एवं सम्पोषण कार्य का प्राकलन।

1 प्रक्षेत्र का नाम :- हिजला पश्चिमी प्रक्षेत्र, दुमका।

2 परिसर :- खासमहल

3 वन उप परिसर :- असना

4 प्रखण्ड एवं पंचायत का नाम :- दुमका

5 कार्य स्थल का नाम :- पथरपानी

6 थाना एवं धाना नं० :- गुहियाजोरी-03

7 वन भूमि।

8 जिला :- दुमका।

9 प्लॉट नं०:- 407, 384, 430

10 भौतिक लक्ष्य (शुद्ध रकवा) :- 3,683 हे०

11 घेयन की लंबाई 2364 मी०

12 पौधों की संख्या:- 1100 प्रति हे०

13 पौधों की दूरी :- 3मी० x 2मी०

14 कुल पौधों की संख्या :- 4051

15 पौधों की प्रजाति :- एकसिया, सागवान, कठ सागवान, अर्जुन, कदम, करंज, आंवला, घोरकरंज, बकौन इत्यादि।

16 दर-प्रति मानव दिवस:- 500.00 575.00 661.25 760.44 874.51

(रु० में) 1005.69 1156.54 1330.02 1529.52 1758.95

17 जी०पी०एस०

क्र०	कार्य की विवरण	इकाई	प्रति हे०					3,683 हे०			अभ्युक्ति
			मानव दिवस (रॉ०)	मजदूरी (रु०)	सामग्री (रु०)	कुल व्यय (रु०)	मानव दिवस (रॉ०)	मजदूरी (रु०)	सामग्री (रु०)	कुल व्यय (रु०)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
(ए०) अग्रिम कार्य (अग्रिम वर्ष) 2026-27 मजदूरी दर-500.00 रु० प्रति मानव दिवस											
1	सर्वेक्षण एवं सीमांकन	हे०	3.00	1500.00	50.00	1550.00	11.05	5524.50	184.15	5708.65	
2	झाड़ी सफाई										
2.1	घनी झाड़ी	हे०	10.00	5000.00	0.00	5000.00	36.83	18415.00	0.00	18415.00	
2.2	लैटना को जड़ सहित उखाड़कर 10 मीटर दूरी तक संग्रहण कर जलाने का कार्य										
2.3	पहलीबार गहू सितम्बर-नवम्बर		50.00	25000.00	14500.00	39500.00	184.15	92075.00	53403.50	145478.50	
2.4	दूसरी बार दिसम्बर-फरवरी		35.00	17500.00	0.00	17500.00	128.91	64452.50	0.00	64452.50	
3	घेयन कार्य										
3.1	आ०सी०सी० पीलर 41 स० 965.00 रु० प्रति पीलर। पीलर का आकार 7"x4"x4" का निर्माण एवं 1'x1'x2' का गड्ढा में ढलाई कर लगाने का कार्य (120 मीटर के लिए 41 पीलर- इसलिए 2364 मीटर घेयन के लिए 808 पीलर)		0.00	15826.00	23739.00	39565.00	0.00	311888.00	467832.00	779720.00	
3.2	कंटीला तार 4 Point 2 Ply 12 swg, 15 cm apart 82.5 रु० प्रति कि०ग्र० (जी०एस०टी० सहित Item No. 31/M215) की दर से 144.66 कि०ग्र० (7 लाईन एवं 2 ब्रॉस) (120 मीटर के लिए 144.65 कि०ग्र०- इसलिए 2364 मीटर घेयन के लिए 2850 कि०ग्र०)		0.00	0.00	11933.63	11933.63	0.00	0.00	235125.00	235125.00	
3.3	कंटीला तार को खींचने, सीधा करने, स्तैल इत्यादि लगाने का कार्य सहित। (120 मीटर के लिए 3.81 मानव दिवस- इसलिए 2364 मीटर घेयन के लिए 75.06 मानव दिवस)		3.81	1905.00	0.00	1905.00	75.06	37530.00	0.00	37530.00	
3.4	आ०सी०सी० पीलर एवं कंटीले तार की कार्य स्थल तक ढलाई 15% of (3.1 +3.2)		0.00	0.00	7724.79	7724.79	0.00	0.00	152226.75	152226.75	

Sign

क्र०	कार्य की विवरण	इकाई	प्रति हे०					3.683 हे०			कुल व्यय (रु०)	अवशेष
			मानव दिवस (सं०)	मजदूरी (रु०)	सामग्री (रु०)	कुल व्यय (रु०)	मानव दिवस (सं०)	मजदूरी (रु०)	सामग्री (रु०)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
3.5	घरान में PVC जाली, बांस इत्यादि से फौरिंग का सुदिकरण (जमीन से 2 फीट ऊँचा) (120 मीटर के लिए 8146.28 रु०- इसलिये 2364 मीटर घेरान के लिए 1,60,481.72 रु०)	L.S.	0.00	0.00	8146.28	8146.28	0.00	0.00	160481.72	160481.72		
4	मृदा कार्य: पौधा लगाने हेतु (60cm x 60cm x 60cm) आकार का गड्ढा बनाना 100.17 मानव दिवस प्रति गड्ढा	हे०	187.00	93500.00	0.00	93500.00	688.72	344360.50	0.00	344360.50		
5	मृदा एवं जल संस्क्षण कार्य : कट्टर ट्रैकिंग-120, कट्टर ट्रेंच साईज 5मी० x 0.30 x 0.3 मी० का खोदा जाना जिसके बीच की दूरी 2 मी० से 3 मी० हो तथा इसकी निष्ठा का निचे ढाल पर 0.15 मी० डट कर 0.30 मी० की चौड़ाई में 0.15 मी० गहरा खोदनी कर रखा जाना।	हे०	55.00	27500.00	0.00	27500.00	202.57	101282.50	0.00	101282.50		
6	सिस्ट डिटेक्शन डैम, चेक डैम, रिटैनिंग एवं बेस्ट वाल, टो वाल, स्पेर एवं टरिफ्ट नियंत्रण कार्य आदि	हे०	25.00	12500.00	0.00	12500.00	52.08	46037.50	0.00	46037.50		
7	गली प्लनिंग	हे०	10.00	5000.00	0.00	5000.00	36.83	18415.00	0.00	18415.00		
8	लेबर सेस मजदूरी का 1 प्रतिशत		0.00	0.00	2052.31	2052.31	0.00	0.00	10399.81	10399.81		
9	विशेष कार्य (अनुश्रवण, मूल्यांकन, छायांकन प्रचार-प्रसार, मुद्रण एवं संचलन आदि) कुल राशि का 7 प्रतिशत		0.00	0.00	18992.73	18992.73	0.00	0.00	147646.35	147646.35		
10	प्रवेश बिन्दु कार्य (प्रथम एवं द्वितीय वर्षों का 15 प्रतिशत)	कुल :-	378.81	205231.00	87138.74	292369.74	1456.19	1039980.50	1227299.28	2267279.78		
	अग्रिम कार्य का सकल योग :-		0.00	0.00	117532.50	117532.50	0.00	0.00	654424.10	654424.10		
	(शेष) समापन कार्य (द्वितीय वर्ष) 2027-28 मजदूरी दर-575.00 रु० प्रति मानव दिवस (यदि 15 प्रतिशत)		378.81	205231.00	204671.24	409902.24	1456.19	1039980.50	1881723.38	2921703.88		
1	पौधों (न्यूनतम 6 फीट) क्रय एवं परिवहन 20 प्रतिशत अतिरिक्त सहित (130x(10.5 रु० प्रति पौधा)		0.00	0.00	138600.00	138600.00	0.00	0.00	510463.80	510463.80		
2	वृक्षारोपण (0.0225 मानव दिवस प्रति पौधा)		24.75	14231.25	0.00	14231.25	91.15	52413.69	0.00	52413.69		
3	पौधों को सहाय्य देने हेतु खूँटा का उपयोग करना (0.02 मा० दि० प्रति पौधा एवं 10.00 रु० सामग्री प्रति पौधा)		22.00	12650.00	11000.00	23650.00	81.03	46589.95	40513.00	87102.95		
4	तीन कोइली एवं निकौनी (0.06 मानव दिवस प्रति पौधा)		66.00	37950.00	0.00	37950.00	243.08	139769.85	0.00	139769.85		
5	पौधों की सुखा		275.00	158125.00	0.00	158125.00	275.00	158125.00	0.00	158125.00		
6	सामग्री (बीज, उर्वरक, खाद, रसायन, आदि) (6.00/- प्रति पौधा)		0.00	0.00	4950.00	4950.00	0.00	0.00	18230.85	18230.85		
7	औषिक खाद का उपयोग (दो कि०ग्रा० प्रति पौधा)		0.00	0.00	22000.00	22000.00	0.00	0.00	81026.00	81026.00		
8	पटवन आवश्यकतानुसार (0.09 मानव दिवस प्रति पौधा)		99.00	56925.00	0.00	56925.00	364.62	209654.78	0.00	209654.78		
9	बोरिंग + मशीन + टैंक	L.S.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60000.00	60000.00		
10	पटवन के लिए डीजल (वार माह हेतु)	L.S.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96000.00	96000.00		
11	विशेष कार्य (अनुश्रवण, मूल्यांकन, छायांकन प्रचार-प्रसार, मुद्रण एवं संचलन आदि) कुल राशि का 7 प्रतिशत		0.00	0.00	31950.19	31950.19	0.00	0.00	136695.08	136695.08		
12	लेबर सेस मजदूरी का 1 प्रतिशत		0.00	0.00	2798.81	2798.81	0.00	0.00	6065.53	6065.53		
	कुल :-	कुल :-	486.75	279881.25	211299.00	491180.25	1054.88	606553.27	1488994.27	2095547.54		

Drawn

क्र०	कार्य की विवरण	इकाई	प्रति हे०					मानव दिवस (सं०)	कुल व्यय (रु०)	मानव दिवस (सं०)	3,683 हे०			कुल व्यय (रु०)	अभ्युक्ति
			मानव दिवस (सं०)	मजदूरी (रु०)	सामग्री (रु०)	7	8				9	10			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
(डी०) सम्योपेक्ष कार्य (द्वितीय वर्ष) 2028-29 मजदूरी दर-661.25 रु० प्रति मानव दिवस (प्रति 15 प्रतिशत)															
1	दो कोलनी एवं निकोनी (0.04 मानव दिवस प्रति पौधा)		44.00	29095.00	0.00	29095.00	162.05	107156.89	0.00	107156.89					
2	सामग्री (बीज, उर्वरक, कम्पोस्ट खाद, डी०ए०पी०/यूरिया/जैविक किटनासक आदि) (4.5/- रु० प्रति पौधा)		0.00	0.00	4950.00	4950.00	0.00	0.00	18230.85	18230.85					
3	पौधों की सुखा (मानव दिवस प्रति साईड)		365.00	241356.25	0.00	241356.25	365.00	241356.25	0.00	241356.25					
4	घोरान की सरमति (5% of construction)		0.00	0.00	3288.32	3288.32	0.00	0.00	64773.60	64773.60					
5	पटवन आवश्यकतानुसार (0.135 मानव दिवस प्रति पौधा)		148.50	98195.63	0.00	98195.63	546.93	361654.49	0.00	361654.49					
6	मृत पौधों का प्रतिस्थापन (10% पौधे-110 पौधे/हे०, प्रति पौधा मानव दिवस = 0.033 एवं प्रति पौधा सामग्री = 105/-रु०)		36.30	24003.38	11550.00	35553.38	133.69	88404.43	42538.65	130943.08					
7	विभिन्न कार्य (अनुश्रवण, मूल्यांकन, छायांकन प्रचार-प्रसार, मुद्रण एवं संकलन आदि) कुल राशि का 7 प्रतिशत		0.00	0.00	28870.70	28870.70	0.00	0.00	64688.06	64688.06					
8	लेबर सेस मजदूरी का 1 प्रतिशत		0.00	0.00	3926.50	3926.50	0.00	0.00	7985.72	7985.72					
		कुल :-	593.80	392650.25	52585.52	445235.77	1207.67	798572.05	198216.88	996788.93					
(डी०) सम्योपेक्ष कार्य (चतुर्थ वर्ष) 2029-30 मजदूरी दर-760.44 रु० प्रति मानव दिवस (प्रति 15 प्रतिशत)															
1	दो कोलनी एवं निकोनी (0.04 मानव दिवस प्रति पौधा)		44.00	33459.36	0.00	33459.36	162.05	123230.82	0.00	123230.82					
2	सामग्री (बीज, उर्वरक, कम्पोस्ट खाद, डी०ए०पी०/यूरिया/जैविक किटनासक आदि) (4.5/- रु० प्रति पौधा)		0.00	0.00	4950.00	4950.00	0.00	0.00	18230.85	18230.85					
3	पौधों की सुखा (मानव दिवस प्रति साईड)		365.00	277560.60	0.00	277560.60	365.00	277560.60	0.00	277560.60					
4	मृत पौधों का प्रतिस्थापन (75 पौधे/हे०, प्रति पौधा मानव दिवस = 0.06 एवं प्रति पौधा सामग्री = 105/-रु०)		4.50	3421.98	7875.00	11296.98	16.57	12603.15	29003.63	41606.78					
5	पटवन आवश्यकतानुसार (0.045 मानव दिवस प्रति पौधा)		49.50	37641.78	0.00	37641.78	182.31	138634.68	0.00	138634.68					
6	विभिन्न कार्य (अनुश्रवण, मूल्यांकन, छायांकन प्रचार-प्रसार, मुद्रण एवं संकलन आदि) कुल राशि का 7 प्रतिशत		0.00	0.00	25543.61	25543.61	0.00	0.00	41948.46	41948.46					
7	लेबर सेस मजदूरी का 1 प्रतिशत		0.00	0.00	3520.84	3520.84	0.00	0.00	5520.29	5520.29					
		कुल :-	463.00	352083.72	41889.45	393973.17	725.93	552029.25	94703.23	646732.48					

© 2000 Blackwell Science Ltd, *Journal of Internal Medicine* 247: 399–405

Chad

क्र०	कार्य की विवरण	इकाई	प्रति हे०					3,683 हे०			कुल व्यय (रु०)	अम्मुक्ति
			मानव दिवस (र०)	मजदूरी (रु०)	सामग्री (रु०)	कुल व्यय (रु०)	मानव दिवस (र०)	मजदूरी (रु०)	सामग्री (रु०)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
(ई०) सम्योपेय कार्य (पंचम वर्ष) 2030-31 मजदूरी दर-874.51 रु० प्रति मानव दिवस (वृद्धि 15 प्रतिशत)												
1	एक कोड़नी एवं निकौनी (0.02 मानव दिवस प्रति पौधा)		22.00	19239.22	0.00	19239.22	81.03	70858.05	0.00	70858.05		
2	सामग्री (सीज, ज्वरक, कम्पोस्ट खाद, डी०ए०पी० / यूरिया / जैविक फिटोनासक आदि) (4.5 / -- रु० प्रति पौधा)		0.00	0.00	4950.00	4950.00	0.00	0.00	18230.85	18230.85		
3	पौधों की सुरक्षा (मानव दिवस प्रति साईड)		365.00	319196.15	0.00	319196.15	365.00	319196.15	0.00	319196.15		
4	मृत पौधों का प्रतिस्थापन (50 पौधे/हे०, प्रति पौधा मानव दिवस = 0.06 एवं प्रति पौधा सामग्री = 105/-रु०)		3.00	2623.53	5250.00	7873.53	11.05	9662.46	19335.75	28998.21		
5	विविध कार्य (अनुसूचक, मृत्त्याकन, छायांकन प्रचार-प्रसार, मुटुन एवं संकलन आदि) कुल राशि का 7 प्रतिशत		0.00	0.00	24818.31	24818.31	0.00	0.00	35143.98	35143.98		
6	घेसान की गरम्टि (5% of construction)		0.00	0.00	3288.32	3288.32	0.00	0.00	64773.60	64773.60		
7	लेबर सेस मजदूरी का 1 प्रतिशत		0.00	0.00	3410.59	3410.59	0.00	0.00	3997.17	3997.17		
	कुल :-		390.00	341058.90	41717.21	382776.11	457.08	399716.66	141481.35	541198.00		
(ए०) सम्योपेय कार्य (षष्ठम वर्ष) 2031-32 मजदूरी दर-1036.60 रु० प्रति मानव दिवस (वृद्धि 15 प्रतिशत)												
1	पौधों की सुरक्षा (मानव दिवस प्रति साईड)	स्थल	365.00	367076.85	0.00	367076.85	365.00	367076.85	0.00	367076.85		
2	लेबर सेस मजदूरी का 1 प्रतिशत		0.00	0.00	3670.77	3670.77	0.00	0.00	3670.77	3670.77		
	कुल :-		365.00	367076.85	3670.77	370747.62	365.00	367076.85	3670.77	370747.62		
(जी०) सम्योपेय कार्य (सप्तम वर्ष) 2032-33 मजदूरी दर-1156.54 रु० प्रति मानव दिवस (वृद्धि 15 प्रतिशत)												
1	पौधों की सुरक्षा (मानव दिवस प्रति साईड)	स्थल	365.00	422137.10	0.00	422137.10	365.00	422137.10	0.00	422137.10		
2	लेबर सेस मजदूरी का 1 प्रतिशत		0.00	0.00	4221.37	4221.37	0.00	0.00	4221.37	4221.37		
	कुल :-		365.00	422137.10	4221.37	426358.47	365.00	422137.10	4221.37	426358.47		
(ए०) सम्योपेय कार्य (अष्टम वर्ष) 2033-34 मजदूरी दर-1330.02 रु० प्रति मानव दिवस (वृद्धि 15 प्रतिशत)												
1	पौधों की सुरक्षा (मानव दिवस प्रति साईड)	स्थल	365.00	485457.30	0.00	485457.30	365.00	485457.30	0.00	485457.30		
2	लेबर सेस मजदूरी का 1 प्रतिशत		0.00	0.00	4854.57	4854.57	0.00	0.00	4854.57	4854.57		
	कुल :-		365.00	485457.30	4854.57	490311.87	365.00	485457.30	4854.57	490311.87		
(आई०) सम्योपेय कार्य (नवम वर्ष) 2034-35 मजदूरी दर-1529.52 रु० प्रति मानव दिवस (वृद्धि 15 प्रतिशत)												
1	पौधों की सुरक्षा (मानव दिवस प्रति साईड)	स्थल	365.00	558274.80	0.00	558274.80	365.00	558274.80	0.00	558274.80		
2	लेबर सेस मजदूरी का 1 प्रतिशत		0.00	0.00	5582.75	5582.75	0.00	0.00	5582.75	5582.75		
	कुल :-		365.00	558274.80	5582.75	563857.55	365.00	558274.80	5582.75	563857.55		

© 2000 Blackwell Science Ltd, *Journal of Internal Medicine* 247: 399–406

merck

दुमका वन प्रमंडल, दुमका।

Paradip-Numaligarh Crude Oil Pipeline (PNCPL) परियोजना हेतु गैर वनभूमि में अवकृष्ट वनों का पारिस्थितिकी पुनर्स्थापना योजना (1100 पौधा प्रति हे०) अग्रिम कार्य वर्ष 2026-27 से 2035-36 समापन एवं सम्योषण कार्य का प्राकलन।

1 प्रक्षेत्र का नाम :- हिजला पश्चिमी प्रक्षेत्र, दुमका।

2 परिसर :- खासमहल

3 वन उप परिसर :- अरुणा

4 प्रखण्ड एवं पंचायत का नाम :- दुमका

5 कार्य स्थल का नाम :- बंसदेरवा

6 थाना एवं थाना नं० :- गुहियाजोरी-04

7 वन भूमि।

8 जिला :- दुमका।

9 प्लॉट नं०:- 80

10 भौतिक लक्ष्य (शुद्ध रकबा) :-

11 घेरान की लंबाई 5.780 हे०

12 पौधों की संख्या:- 2155 मी०

13 पौधों की दूरी :- 1100 प्रति हे०

14 कुल पौधों की संख्या :- 3मी० x 2मी०

15 पौधों की प्रजाति :- एकसिया, सागवान, कठ सागवान, अर्जुन, कदम, कंज, औवला, घोरकरंज, बकैम इत्यादि।

16 दर-प्रति मानव दिवस:- 500.00 575.00 661.25 760.44 874.51

(₹० में) 1005.69 1156.54 1330.02 1529.52 1758.95

17 जी०पी०एस०

क्र०	कार्य की विवरण	इकाई	प्रति हे०					5.780 हे०			अभ्युक्ति
			मानव दिवस (सं०)	मजदूरी (रु०)	सामग्री (रु०)	कुल व्यय (रु०)	मानव दिवस (सं०)	मजदूरी (रु०)	सामग्री (रु०)	कुल व्यय (रु०)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	
(ए०) अग्रिम कार्य (प्रथम वर्ष) 2026-27 मजदूरी दर-500.00 रु० प्रति मानव दिवस											
1	सर्वेक्षण एवं सीमांकन	हे०	3.00	1500.00	50.00	1550.00	17.34	8670.00	239.00	8959.00	
2	झाड़ी सफाई										
2.1	घनी झाड़ी	हे०	10.00	5000.00	0.00	5000.00	57.80	28900.00	0.00	28900.00	
2.2	लैटना को जड़ सहित उखाड़कर 10 मीटर दूरी तक संग्रहण कर जलाने का कार्य										
2.3	पहलीबार माह सितम्बर-नवम्बर		50.00	25000.00	14500.00	39500.00	289.00	144500.00	83810.00	228310.00	
2.4	दूसरी बार दिसम्बर-फरवरी		35.00	17500.00	0.00	17500.00	202.30	101150.00	0.00	101150.00	
3	घेरान कार्य										
3.1	आर०सी०पी० पीलर 41 सं० 965.00 रु० प्रति पीलर। पीलर का आकार 7"x4"x4" का निर्माण एवं 1'x1'x2' का गड्ढा में डलाई कर लगाने का कार्य (120 मीटर के लिए 41 पीलर- इसलिये 2155 मीटर घेरान के लिए 737 पीलर)		0.00	15826.00	23739.00	39565.00	0.00	284482.00	426723.00	711205.00	
3.2	कटीला तार 4 Point 2 Ply 12 swg, 15 cm apart 82.5 रु० प्रति कि०ग्रा० (जीएसटी० सहित Item No. 31/M215) की दर से 144.66 कि०ग्रा० (7 लाईन एवं 2 क्रॉस) (120 मीटर के लिए 144.65 कि०ग्रा०- इसलिये 2155 मीटर घेरान के लिए 2598 कि०ग्रा०)		0.00	0.00	11933.63	11933.63	0.00	0.00	214335.00	214335.00	
3.3	कटीला तार को खोदने, सीधा करने, स्केल इत्यादि लगाने का कार्य सहित। (120 मीटर के लिए 3.81 मानव दिवस- इसलिये 2155 मीटर घेरान के लिए 68.42 मानव दिवस)		3.81	1905.00	0.00	1905.00	68.42	34210.00	0.00	34210.00	
3.4	आर०सी०पी० पीलर एवं कटीले तार की कार्य स्थल तक डुलाई 15% of (3.1 +3.2)		0.00	0.00	7724.79	7724.79	0.00	0.00	138831.00	138831.00	

Signature

क्र०	कार्य की विवरण	इकाई	प्रति हे०					5.780 हे०			अभ्युक्ति
			मानव दिवस (सं०)	मजदूरी (रु०)	सामग्री (रु०)	कुल व्यय (रु०)	मानव दिवस (सं०)	मजदूरी (रु०)	सामग्री (रु०)	कुल व्यय (रु०)	
			4	5	6	7	8	9	10	11	
1	2	3									12
3.5	घरान में PVC जाली, बांस इत्यादि से फेंसिंग का सुदिकरण (जमीन से 2 फीट ऊँचा) (120 मीटर के लिए 8146.28 रु०- इसलिए 2155 मीटर घरान के लिए 1,46,293.81 रु०)	L.S.	0.00	0.00	8146.28	8146.28	0.00	0.00	146293.61	146293.61	
4	नूदा कार्य: पौधा लगाने हेतु (60cm x 60cm x 60cm) आकार का गड्ढा बनाना (20.17 मानव दिवस प्रति गड्ढा)	हे०	187.00	93500.00	0.00	93500.00	1080.86	540430.00	0.00	540430.00	
5	मृदा एवं जल संरक्षण कार्य : कट्टर ट्रैकिंग-120, कट्टर ट्रेंच साईज 5मी० x 0.30 x 0.3 मी० का खोया जाना जिसके बीच की दूरी 2 मी० से 3 मी० हो लया इसकी मिट्टी का निचे ढाल पर 0.15 मी० हट कर 0.30 मी० की चौलाई में 0.15 मी० गहरा कोइनी कर रखा जाना।	हे०	55.00	27500.00	0.00	27500.00	317.90	158950.00	0.00	158950.00	
6	सिल्ट डिटेन्शन डैम, चेक डैम, रिटेनिंग एवं ब्रेस्ट वाल, टो वाल, स्पर एवं टरिण्ट नियंत्रण कार्य आदि	हे०	25.00	12500.00	0.00	12500.00	144.50	72250.00	0.00	72250.00	
7	गली प्लानिंग	हे०	10.00	5000.00	0.00	5000.00	57.80	28900.00	0.00	28900.00	
8	लेबर सेस मजदूरी का 1 प्रतिशत		0.00	0.00	2052.31	2052.31	0.00	0.00	14024.42	14024.42	
9	विक्रिष कार्य (अनुश्रवण, मूल्यांकन, छायांकन प्रचार-प्रसार, मुद्रण एवं संकलन आदि) कुल राशि का 7 प्रतिशत		0.00	0.00	18992.73	18992.73	0.00	0.00	168890.65	168890.65	
	कुल :-	कुल :-	378.81	205231.00	87138.74	292369.74	2235.92	1402442.00	1193196.68	2595638.68	
10	प्रदेश बिन्दु कार्य (व्यय एवं द्वितीय वर्षीय का 15 प्रतिशत)		0.00	0.00	117532.50	117532.50	0.00	0.00	804461.40	804461.40	
	अग्रिम कार्य का सकल योग :-		378.81	205231.00	204671.24	409902.24	2235.92	1402442.00	1997658.09	3400100.09	
(श्री०) समापन कार्य (प्रतितीय वर्ष) 2027-28 मजदूरी दर-575.00 रु० प्रति मानव दिवस (यदि 15 प्रतिशत)											
1	पौधों (न्यूनतम 6 फीट) ब्रय एवं परेखन 20 प्रतिशत अतिरिक्त सहित (130x105 रु० प्रति पौधा)		0.00	0.00	138600.00	138600.00	0.00	0.00	801108.00	801108.00	
2	वृक्षारोपण (0.0225 मानव दिवस प्रति पौधा)		24.75	14231.25	0.00	14231.25	143.06	82256.63	0.00	82256.63	
3	पौधों को स्थाय्य देने हेतु खूँटा का उपयोग करना (0.02 मा० वि० प्रति पौधा एवं 10.00 रु० सामग्री प्रति पौधा)		22.00	12650.00	11000.00	23650.00	127.16	73117.00	63580.00	136697.00	
4	तीन कोइनी एवं निकौनी (0.06 मानव दिवस प्रति पौधा)		66.00	37950.00	0.00	37950.00	381.48	219351.00	0.00	219351.00	
5	पौधों की सुरक्षा		275.00	158125.00	0.00	158125.00	275.00	158125.00	0.00	158125.00	
6	सामग्री (बीज, उर्वरक, खाद, रसायन, आदि) (6.00/- प्रति पौधा)		0.00	0.00	4950.00	4950.00	0.00	0.00	28611.00	28611.00	
7	जैविक खाद का उपयोग (दो कि०मा० प्रति पौधा)		0.00	0.00	22000.00	22000.00	0.00	0.00	127160.00	127160.00	
8	पटवन आवश्यकतानुसार (0.09 मानव दिवस प्रति पौधा)		99.00	56925.00	0.00	56925.00	572.22	329026.50	0.00	329026.50	
9	बोरिंग + मशीन + टैंक	L.S.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600000.00	600000.00	
10	पटवन के लिए डोजल (बार माइ हेतु)	L.S.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96000.00	96000.00	
11	विभिन्न कार्य (अनुश्रवण, मूल्यांकन, छायांकन प्रचार-प्रसार, मुद्रण एवं संकलन आदि) कुल राशि का 7 प्रतिशत		0.00	0.00	31950.19	31950.19	0.00	0.00	180483.46	180483.46	
12	लेबर सेस मजदूरी का 1 प्रतिशत		0.00	0.00	2798.81	2798.81	0.00	0.00	8618.76	8618.76	
	कुल :-	कुल :-	486.75	279881.25	211299.00	491180.25	1498.92	861876.13	1905561.22	2767437.35	

Shan

क्र०	कार्य की विवरण	इकाई	प्रति हे०					5,780 हे०			अभ्युक्ति
			मानव दिवस (सं०)	मजदूरी (रु०)	सामग्री (रु०)	कुल व्यय (रु०)	मानव दिवस (सं०)	मजदूरी (रु०)	सामग्री (रु०)	कुल व्यय (रु०)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
(ई०) सम्पौषण कार्य (पंचम वर्ष) 2030-31 मजदूरी दर-874.51 रु० प्रति मानव दिवस (वृद्धि 15 प्रतिशत)											
1	एक कोठनी एवं निकोनी (0.02 मानव दिवस प्रति चौपा)		22.00	19239.22	0.00	19239.22	127.16	111202.69	0.00	111202.69	
2	सामग्री (बीज, उर्वरक, कम्पोस्ट खाद, डीएलपी/यूरिया/जैविक फिटोनासक आदि) (4.5/- रु० प्रति चौपा)		0.00	0.00	4950.00	4950.00	0.00	0.00	28611.00	28611.00	
3	पौधों की सुरक्षा (मानव दिवस प्रति साईड)		365.00	319196.15	0.00	319196.15	365.00	319196.15	0.00	319196.15	
4	मृत पौधों का प्रतिस्थापन (50 पौधे/हे०, प्रति चौपा मानव दिवस = 0.06 एवं प्रति चौपा सामग्री = 105/-रु०)		3.00	2623.53	5250.00	7873.53	17.34	15164.00	30345.00	45509.00	
5	विविध कार्य (अनुभवण, मूल्यांकन, छायांकन प्रचार-प्रसार, मुद्रण एवं संकलन आदि) कुल राशि का 7 प्रतिशत		0.00	0.00	24818.31	24818.31	0.00	0.00	39449.61	39449.61	
6	देयन की परमति (5% of construction)		0.00	0.00	3288.32	3288.32	0.00	0.00	59047.00	59047.00	
7	लेबर सेस मजदूरी का 1 प्रतिशत		0.00	0.00	3410.59	3410.59	0.00	0.00	4455.63	4455.63	
		कुल :-	390.00	341058.90	41717.21	382776.11	509.50	445562.85	161908.24	607471.08	
(एफ०) सम्पौषण कार्य (षष्ठम् वर्ष) 2031-32 मजदूरी दर-1005.69 रु० प्रति मानव दिवस (वृद्धि 15 प्रतिशत)											
1	पौधों की सुरक्षा (मानव दिवस प्रति साईड)	स्थल	365.00	367076.85	0.00	367076.85	365.00	367076.85	0.00	367076.85	
2	लेबर सेस मजदूरी का 1 प्रतिशत		0.00	0.00	3670.77	3670.77	0.00	0.00	3670.77	3670.77	
		कुल :-	365.00	367076.85	3670.77	370747.62	365.00	367076.85	3670.77	370747.62	
(जी०) सम्पौषण कार्य (सप्तम् वर्ष) 2032-33 मजदूरी दर-1156.64 रु० प्रति मानव दिवस (वृद्धि 15 प्रतिशत)											
1	पौधों की सुरक्षा (मानव दिवस प्रति साईड)	स्थल	365.00	422137.10	0.00	422137.10	365.00	422137.10	0.00	422137.10	
2	लेबर सेस मजदूरी का 1 प्रतिशत		0.00	0.00	4221.37	4221.37	0.00	0.00	4221.37	4221.37	
		कुल :-	365.00	422137.10	4221.37	426358.47	365.00	422137.10	4221.37	426358.47	
(एच०) सम्पौषण कार्य (अष्टम वर्ष) 2033-34 मजदूरी दर-1390.02 रु० प्रति मानव दिवस (वृद्धि 15 प्रतिशत)											
1	पौधों की सुरक्षा (मानव दिवस प्रति साईड)	स्थल	365.00	485457.30	0.00	485457.30	365.00	485457.30	0.00	485457.30	
2	लेबर सेस मजदूरी का 1 प्रतिशत		0.00	0.00	4854.57	4854.57	0.00	0.00	4854.57	4854.57	
		कुल :-	365.00	485457.30	4854.57	490311.87	365.00	485457.30	4854.57	490311.87	
(आई०) सम्पौषण कार्य (नवम् वर्ष) 2034-35 मजदूरी दर-1520.52 रु० प्रति मानव दिवस (वृद्धि 15 प्रतिशत)											
1	पौधों की सुरक्षा (मानव दिवस प्रति साईड)	स्थल	365.00	558274.80	0.00	558274.80	365.00	558274.80	0.00	558274.80	
2	लेबर सेस मजदूरी का 1 प्रतिशत		0.00	0.00	5582.75	5582.75	0.00	0.00	5582.75	5582.75	
		कुल :-	365.00	558274.80	5582.75	563857.55	365.00	558274.80	5582.75	563857.55	

Signature

क्र०	कार्य की विवरण	इकाई	प्रति हे०					5.780 हे०			अभ्युक्ति
			मानव दिवस (रु०)	मजदूरी (रु०)	सामग्री (रु०)	कुल व्यय (रु०)	मानव दिवस (रु०)	मजदूरी (रु०)	सामग्री (रु०)	कुल व्यय (रु०)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
(जे०) सम्मोषण कार्य (प्रथम वर्ष) 2035-36 मजदूरी दर-1758.95 रु० प्रति मानव दिवस (वृद्धि 15 प्रतिशत)											
1	पौकों की सुरक्षा (मानव दिवस प्रति साईड)	स्थल	365.00	642016.75	0.00	642016.75	365.00	642016.75	0.00	642016.75	
2	लेबर सेस मजदूरी का 1 प्रतिशत		0.00	0.00	6420.17	6420.17	0.00	0.00	6420.17	6420.17	
		कुल :-	365.00	642016.75	6420.17	648436.92	365.00	642016.75	6420.17	648436.92	
	कुल योग :-		4137.36	4045867.92	459379.55	4505247.47	8688.24	7008983.57	4480352.04	11489335.62	
										या :-	1,14,89,336.00

सारांश

क्र०	कार्य की विवरण	दस वर्षीय योजना की लागत			EPA की राशि (15% of 02 Year)			दस वर्षीय योजना की कुल लागत		
		मजदूरी	सामग्री	कुल	EPA	EPA	EPA कुल	मजदूरी	सामग्री	कुल
1	(ए०) अग्रिन कार्य (प्रथम वर्ष) 2026-27 मजदूरी दर-500.00 रु० प्रति मानव दिवस	1402442.00	1193196.68	2595638.68	210366.30	178979.50	389345.80	1612808.30	1372176.19	2984984.49
2	(बी०) समापन कार्य (द्वितीय वर्ष) 2027-28 मजदूरी दर-575.00 रु० प्रति मानव दिवस (वृद्धि 15 प्रतिशत)	861876.13	1905561.22	2767437.35	129281.42	285834.18	415115.60	991157.54	2191395.40	3182552.95
3	(सी०) सम्मोषण कार्य (तृतीय वर्ष) 2028-29 मजदूरी दर-661.25 रु० प्रति मानव दिवस (वृद्धि 15 प्रतिशत)	1115835.57	254493.04	1370328.61	0.00	0.00	0.00	1115835.57	254493.04	1370328.61
4	(डी०) सम्मोषण कार्य (चतुर्थ वर्ष) 2029-30 मजदूरी दर-760.44 रु० प्रति मानव दिवस (वृद्धि 15 प्रतिशत)	708304.23	135981.83	844286.07	0.00	0.00	0.00	708304.23	135981.83	844286.07
5	(ई०) सम्मोषण कार्य (पंचम वर्ष) 2030-31 मजदूरी दर-874.51 रु० प्रति मानव दिवस (वृद्धि 15 प्रतिशत)	445562.85	161908.24	607471.08	0.00	0.00	0.00	445562.85	161908.24	607471.08
6	(एफ०) सम्मोषण कार्य (षष्ठम वर्ष) 2031-32 मजदूरी दर-1005.69 रु० प्रति मानव दिवस (वृद्धि 15 प्रतिशत)	367076.85	3670.77	370747.62	0.00	0.00	0.00	367076.85	3670.77	370747.62
7	(जी०) सम्मोषण कार्य (सप्तम वर्ष) 2032-33 मजदूरी दर-1156.54 रु० प्रति मानव दिवस (वृद्धि 15 प्रतिशत)	422137.10	4221.37	426358.47	0.00	0.00	0.00	422137.10	4221.37	426358.47
8	(एच०) सम्मोषण कार्य (अष्टम वर्ष) 2033-34 मजदूरी दर-1330.02 रु० प्रति मानव दिवस (वृद्धि 15 प्रतिशत)	485457.30	4854.57	490311.87	0.00	0.00	0.00	485457.30	4854.57	490311.87
9	(आई०) सम्मोषण कार्य (नवम वर्ष) 2034-35 मजदूरी दर-1529.52 रु० प्रति मानव दिवस (वृद्धि 15 प्रतिशत)	558274.80	5582.75	563857.55	0.00	0.00	0.00	558274.80	5582.75	563857.55
10	(जे०) सम्मोषण कार्य (दशम वर्ष) 2035-36 मजदूरी दर-1758.95 रु० प्रति मानव दिवस (वृद्धि 15 प्रतिशत)	642016.75	6420.17	648436.92	0.00	0.00	0.00	642016.75	6420.17	648436.92
	कुल :-	7008983.57	3675890.64	10684874.21	339647.72	464813.69	804461.40	7348631.29	4140704.32	11489335.62
							Or Say Rs.-			1,14,89,336.00

K

वन प्रमंडल पदाधिकारी,

दुमका वन प्रमंडल, दुमका।

26/01/25
26-01-25



कार्यालय :- वन प्रमण्डल पदाधिकारी, गोड्डा वन प्रमण्डल, गोड्डा।

Ramgarh Road, Near Godda College, Godda.

Email :- dfogodda@gmail.com

पत्रांक- 30

दिनांक- 8-1-2026



सेवा में,

मुख्य प्रबंधक (परियोजना-पाईपलाईन),
नुमालीगढ़ रिफाईनरी लिमिटेड,
गुवाहटी।

विषय :- मुख्य प्रबंधक (परियोजना-पाईपलाईन), नुमालीगढ़ रिफाईनरी लिमिटेड, गुवाहटी परियोजना कुल रकवा-0.105 हे० अपयोजित वनभूमि के विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, राँची द्वारा पत्र संख्या-FP/JH/Pipeline/152551/2022/700 दिनांक-19.12.2025 द्वारा स्वीकृत Stage-I में लगाये गये शर्तों के आलोक में डिमाण्ड राशि जमा करने के संबंध में।

प्रसंग :- भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, राँची द्वारा पत्र संख्या-FP/JH/Pipeline/152551/2022/700 दिनांक-19.12.2025

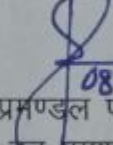
महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में सूचित करना है कि विषयक परियोजना में अपयोजित वनभूमि के संबंध में भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, राँची द्वारा पत्र संख्या-FP/JH/Pipeline/152551/2022/700 दिनांक-19.12.2025 द्वारा Stage-I की स्वीकृति 27 शर्तों के साथ दी गयी है। उक्त शर्तों के आलोक में डिमाण्ड राशि निम्नवत् हैं :-

क्र०सं०	शर्त सं०	राशि
1	शर्त सं०-4 के आलोक में कुल अपयोजित वनभूमि का रकवा-0.105 हे० का वनस्पति घनत्व-0.4, Eco Class-III के अनुसार नये दर पर प्रति हे० NPV की राशि-957780 X 0.105 = 100567.00	100567.00
कुल राशि-		100567.00

अतः अनुरोध है कि कुल राशि-100567.00 रु० Stage-I के शर्त सं०-4 के आलोक में ई-परिवेश पोर्टल के कैम्पा खाता में जमा किया जाना है। साथ ही भविष्य में राशि में परिवर्तन होने पर अवशेष राशि आपके द्वारा देय होगी। इस संबंध में वचनवद्धता दिया जाय। इसके अलावे Stage-I के सभी शर्तों का अनुपालन करते हुए अनुपालन प्रतिवेदन की हार्ड कॉपी कुल-9 प्रतियों में शीघ्र समर्पित किया जाय।

विश्वासभाजन,


08-01-26
वन प्रमण्डल पदाधिकारी,
गोड्डा वन प्रमण्डल, गोड्डा।



भारत सरकार / Government of India
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
Ministry of Environment, Forest & Climate Change
क्षेत्रीय कार्यालय/ Regional Office
पता: द्वितीय तल, झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड मुख्यालय, हरमू चौक, राँची, झारखण्ड - 834002
Add: 2nd Floor, Headquarter-Jharkhand State Housing Board, Harmu Chowk, Ranchi, Jharkhand - 834002
Tel: 0651-2410002, 2410007; E-mail: ro.ranchi-mef@gov.in



संख्या: FP/JH/Pipeline/152551/2022/700

दिनांक: 19.12.2025

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव

वन, पर्यावरण, एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

झारखण्ड सरकार,

नेपाल हाउस, राँची - 834002.

विषय:-In-principle (Stage-I) approval of Central Government under Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980 for diversion of 6.206 ha forest land in favour of Numaligarh Refinery Limited for laying underground Paradip-Numaligarh Crude Oil Pipeline (PNCPL) project in Dumka and Godda district of Jharkhand - reg.

महाशय,

I am directed to refer to you the Jharkhand Govt. letter No. Van Bhumi-28/2025-3941/Va.Pa. dated 19.11.2025 on the above mentioned subject seeking prior approval of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change under section 2 of the Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980.

After due consideration of the proposal of the State Government and on the basis of decision of Regional Empowered Committee (REC) in its 88th (05.12.2025) meeting, the **“in-principle”** approval of Central Government, is hereby conveyed for of 6.206 ha forest land in favour of Numaligarh Refinery Limited for laying underground Paradip-Numaligarh Crude Oil Pipeline (PNCPL) project in Dumka and Godda district of Jharkhand, subject to the following conditions and stipulations.

- (1) Legal status of the forest land shall remain unchanged.
- (2) Compensatory Afforestation (CA) shall be taken up by the Forest Department over 14.813 ha. degraded forest land (DFL) (Site-1 – Mauza- Baratarn, Thana/Thana No.- Guhiyajori/02, Plot No. 1, 25, 85 (area:5.35 ha), Site-2 - Mauza- Patharpani, Thana/Thana No.- Guhiyajori/03, Plot No. 407, 384, 430 (area: 3.683 ha.), Site-3 –Mauza - Bansberwa, Thana/Thana No.- Guhiyajori/03, Plot No. 80 (area: 5.78 ha.) under Dumka Forest Division) at the cost of the user agency. It shall be ensured that healthy plants/sapling with adequate height of indigenous species is planted and monoculture, especially of non-native species shall be avoided.

- (3) The cost of compensatory afforestation on the identified CA land (14.813 ha DFL) at the prevailing wage rates as per CA scheme (including the cost of survey, demarcation and erection of permanent pillars etc. as required for securing the land against encroachment) shall be deposited in advance with the State Forest Department by the project authority. Also, soil testing of the CA site to ensure that indigenous species are selected based on soil conditions for maximum survival shall be done mandatorily. The CA will be maintained for at least 10 years. The scheme may be revised to include additional expenditure for soil testing, larger pits, taller saplings, and improved fencing to ensure successful plantation as well as appropriate provision for anticipated cost increase for works scheduled for subsequent years.
- (4) The State Government shall charge the Net Present Value (NPV) for the 6.206 ha forest area to be diverted under this proposal from the User Agency as per the order of the Hon'ble Supreme Court of India dated 30/10/2002, 01/08/2003, 28/03/2008, 24/04/2008 and 09/05/2008 in IA No. 566 in WP (C) No. 202/1995 and as per the guidelines issued by the Ministry vide letters No. 5-1/1998-FC (Pt.II) dated 18/09/2003, as well as letter No. 5-2/2006-FC dated 03/10/2006, 5-3/2007-FC dated 05/02/2009 and letter No.5-3/2011-FC(Vol-I) dated 6/1/2022 in this regard.
- (5) Additional amount of the NPV of the diverted forest land, if any, becoming due after finalization of the same by the Hon'ble Supreme Court of India on receipt of the report from the Expert Committee, shall also be charged by the State Government from the User Agency. The User Agency shall furnish an undertaking to this effect.
- (6) The user agency shall prepare and implement a Site-specific Wildlife Management Plan (WLMP) under guidance and supervision of forest department to minimize the adverse effect of the project on flora and fauna in the vicinity. Cost of Plan preparation and implementation shall be borne by the project proponent. A copy of duly approved such plan shall be submitted to this office before seeking final approval. All other mitigative measures to ensure unhindered wildlife movement shall be incorporated by user agency in in form of passages/culverts as deemed appropriate by the DFO.
- (7) The user agency shall prepare and implement a Soil-Moisture Conservation Plan under guidance and supervision of forest department to minimize the adverse effect of the project on soils of the area and its hydrology. Cost of Plan preparation and implementation shall be borne by the project proponent. A copy of duly approved such plan shall be submitted to this office before seeking final approval.

- (8) All the funds received from the user agency under the project shall be transferred / deposited to CAMPA fund only through e-portal (<https://parivesh.nic.in/>).
- (9) The complete compliance of the FRA, 2006, including all the relevant certificates from competent authorities/committees, shall be ensured before the issuance of final diversion letter by the State Government.
- (10) The User agency shall upload NOCs of Road/drainage etc before the issuance of final approval.
- (11) **The KML files of the forest area to be diverted and the CA area shall be uploaded on the e-Green watch portal with all requisite details and submitting compliance report for seeking Stage-II approval.**
- (12) A Muck-Disposal Plan should be prepared by User Agency to ensure that the muck/wastage generated should be disposed of in proper manner. Such plan, duly approved by the concerned DFO, should be submitted to this office before soliciting working permission.
- (13) User Agency shall restrict the felling of trees to minimum number in the diverted forest land and the trees shall be felled under the strict supervision of the State Forest Department and the cost of felling of trees shall be deposited by the User Agency with the State Forest Department.
- (14) The pipeline shall be laid down 1.5 meter below the ground and after laying down of pipeline the ground will be leveled.
- (15) Wherever possible and technically feasible, the User Agency shall undertake appropriate afforestation or vegetation enrichment measures near the site(s) related to the area diverted under this approval, in consultation with the State Forest Department at the project cost.
- (16) The User Agency shall ensure that the labourers and staff engaged in construction activity do not damage the nearby forest flora and fauna.
- (17) The layout plan of the proposal shall not be changed without prior approval of the Ministry of Environment, Forest & Climate Change.
- (18) No labour camp shall be established on the forest land.
- (19) The User Agency shall provide alternate fuels preferably LPG to the labourers and the staff working at the site so as to avoid any damage and pressure on the nearby forest areas.
- (20) Earth or any other material shall not be brought from and debris resulting during construction shall not be disposed of in the adjoining forest area by the user agency.

- (21) The period of diversion under this approval shall be co-terminus with the period of the project life.
- (22) The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the project proposal.
- (23) The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agencies, department, or person without prior approval of Ministry of Environment, Forest and Climate Change.
- (24) The User Agency and the State Government shall ensure compliance to provisions of the Acts, Rules, Regulations, Guidelines, Hon'ble Court Order(s) and National Green Tribunal Order(s) pertaining to this project, if any, for the time in force, as applicable to the project.
- (25) Violation of any of these conditions will amount to violation of Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980 and action would be taken accordingly.
- (26) Any other condition that the Ministry of Environment, Forest & Climate Change may stipulate from time to time in the interest of conservation, protection and development of forest & wildlife.
- (27) The compliance report shall be uploaded on e-portal (<https://parivesh.nic.in/>).

After receipt of the compliance report on the fulfillment of the conditions mentioned above, the proposal shall be considered for final approval under section 2 of the Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980. Transfer of forest land shall not be affected till final approval is granted by the Government in this regard.

विश्वासभाजन

Digitally signed by
Shashi Shankar Pathak
(शशि शंकर)
Date: 22-12-2025
उप वन महानिरीक्षक
15:00:30

प्रतिलिपि:-

1. The CEO (National CAMPA), 3rd Floor, Supreme Court Metro Station Building, New Delhi-110001.
2. The IGF (ROHQ)/ CEO (CAMPA), Ministry of Environment, Forests and Climate Change, Indira Paryavaran Bhawan, Jor Bagh Road, New Delhi – 110 003.
3. The Principal Chief Conservator of Forests (HoFF)/ The PCCF-cum-Nodal Officer (FC), Forests, Environment & Climate Change Department, Government of Jharkhand, Van Bhavan, Doranda, Ranchi.
4. The Divisional Forest Officer, Dumka and Godda Forest Division, Jharkhand.
5. The Chief Manager, Numaligarh Refinery Limited, 122A, G.S Road, Christianbasti, Guwahati - 781005.
6. Guard File.

